न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 5/2025

बउनवान

सोहनलाल पुत्र बिरधीलाल जाति माली निवासी खजुरनाकलां तहसील अंता जिला बारां

अपीलांट

बनाम

भैरूलाल पंकज पुत्र किशनलाल पंकज जाति धोबी निवासी मालियो की बस्ती मीणों का मोहल्ला ग्राम बडां तहसील बारां जिला बारां राजस्थान

रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 27–11–2024 प्रकरण सं० 2/2023 बउनवान भैरूलाल बनाम सोहनलाल न्यायालय तहसीलदार अंता जिला बारां राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अपीलांट)

2. श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 27.10.2025

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–11–2024 न्याय कानून एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम बडवा तहसील अंता जिला बारा राजस्थान मे खाता संख्या 587 खसरा नं0 2957 रकबा 0.54 हेक्टे० भूमि स्थित है जो नकल जमानबंदी सम्मवत 2074–2077 में प्रार्थी के खाते दर्ज है। प्रार्थी की उक्त भूमि ग्राम बडवां मे स्थित है तथा प्रार्थी ग्राम बोहत मे निवास करता है प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि अप्रार्थी को मुनाफा काश्त से कुछ वर्ष पूर्व जुपाई थी अप्रार्थी हर वर्ष प्रार्थी को मुनाफा राशि अदा करता था परन्तु 2–3 वर्षो से अप्रार्थी ने प्रार्थी को मुनाफा राशि देना बंद कर दिया है प्रार्थी ने कई बार मुनाफा राशि का तकाजा अप्रार्थी से किया परन्तु अप्रार्थी मुनाफा राशि न देकर प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं तन्हा खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा किया हुआ है उक्त आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं तन्हा खातेदारी की भूमि है जिस पर अपार्थी का कोई हक अधिकार नही है अप्रार्थी से प्रार्थी ने कई बार जमीन से कब्जा हटाने के लिये कहा परन्तु अप्रार्थी जबरन कब्जा किये हुये है एवं जोर जबरदस्ती से उक्त भूमि में फसल बोकर फसल प्राप्त कर रहा है प्रार्थी के खेत पर जाने पर प्रार्थी के साथ गाली गलोच करते हुये लडाई झगडा करता है प्रार्थी अनुसूचित जाति का वृद्ध व्यक्ति है जो गरीब व्यक्ति है प्रार्थी की भूमि ग्राम बडवां मे होने व प्रार्थी ग्राम बोहत में निवास करने से प्रार्थी उक्त भूमि मे पूर्ण तरीके से देखरेख नही

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

नकल जमानबंदी सम्मवत 2074--2077 मे प्रार्थी के खाते दर्ज है । प्रार्थी

हो जाती है जिसका नाजायज फायदा अप्रार्थी उठा रहा है क्योकि अप्रार्थी प्रार्थी को अपनी जमीन वापस नही संभला रहा है। अप्रार्थी राजनैतिक व्यक्ति है तथा काफी पैसे वाला एवं प्रभावशाली व्यक्ति है उक्त भूमि खसरा नं0 2957 रकबा 0.54 हेक्टे० भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर प्रार्थी को कब्जा दिलवाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे दिनांक 9–4–2024 को जवाब हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया तथा दिनांक 14–5–2024 को अपीलांट/अप्रार्थी की उपस्थिति के बावजूद भी अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई तथा जब अपीलांट द्वारा उक्त पक्षीय कार्यवाही का मौखिक रूपसे विरोध किया तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा द्वेषतावश अपीलांट की एक तरफा कार्यवाही तो निरस्त कर दी परन्तु अपीलांट का जवाब पत्रावली पर बंद कर दिया उक्त जवाब बंद करने की जानकारी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नही दी गई तथा दिनांक 19–7–2024 को उक्त प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया तत्पश्चात दिनांक 6–8–2024 को उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया गया तब भी अपीलांट/अप्रार्थी को जवाब का अवसर नही दिया गया इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27–12–2023 की पटवार मण्डल बडवां की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय मे उक्त कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही के रूपमे दर्ज हुई थी जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपनी जवाबदेही का अवसर नही दिया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो का भी पालन उपरोक्त कार्यवाही में नही किया गया पटवार मण्डल बडवां द्वारा दी गई रिपोर्ट में ना तो किसी पक्षकार के ओर न ही किसी ग्रामवासी के हस्ताक्षर है जिससे यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि हल्का पटवारी द्वारा मौके पर न जाकर अपने कार्यालय में बैठकर उक्त रिपोर्ट तैयार की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे ना तो प्रार्थी की साक्ष्य ली ओर न ही अप्रार्थी की साक्ष्य ली ओर न ही हल्का पटवारी की साक्ष्य लेखबद्ध की मात्र प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने के उद्देश्य से उपरोक्त कार्यवाही निर्णित की गई है जो तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–11–2024 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांट को अपने जवाब व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये मौके की स्थिति को देखकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार मण्डल बडवां की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय मे उक्त न्यायिक कार्यवाही मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपनी जवाबदेही का अवसर नही दिया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो का भी पालन उपरोक्त कार्यवाही में नही किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

नकल जमानबंदी सम्मवत 2074--2077 मे प्रार्थी के खाते दर्ज है । प्रार्थी

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे ना तो प्रार्थी की साक्ष्य ली ओर न ही अप्रार्थी की साक्ष्य ली ओर न ही हल्का पटवारी की साक्ष्य लेखबद्ध की मात्र प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने के उद्देश्य से उपरोक्त कार्यवाही निर्णित की गई है जो तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2024 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो0 ने अभिभाषक अपीलांट के तर्क का खंडन करते हुए कथन किया कि अपीलांट को अधिस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है तथा अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। इसके पश्चात भी अपीलांट द्वारा समय चाहे जाने पर उसे समय भी दिया गया है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है। रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति का सदस्य हैं तथा विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार तथा काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर अवैध अतिक्रमण करने पर रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर0 टी0 एक्ट पेश किया जिसमें बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानूर्वक अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2074–77 से स्पष्ट है कि वाके ग्राम बड़वा की विवादित आराजी खसरा नंबर 2957 रकबा 0.54 है. रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज है। चूंकि अनुसूचित जाति के सदस्य की खातेदारी की भूमि पर अन्य किसी भी व्यक्ति का अवैध कब्जा होने से अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0 टी0 एक्ट कार्यवाही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट, जो कि उस कार्यवाही में अप्रार्थी हैं, सुनवाई में अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अतः उसका यह आक्षेप कि उसको सुनवाई व साक्ष्य का मौका नहीं मिला अस्वीकार है। भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार "ग्राम बड़वा की आराजी खसरा नंबर 2957 रकबा 0.54 है. भूमि मुताबिक राजस्व रेकार्ड खातेदार भैरूलाल पुत्र किशनलाल जाति धोबी साकिन बड़ां के नाम खाते दर्ज है। मुताबिक उपस्थित गवाह व ग्रामवासियों के अनुसार खसरा नंबर 2957 रकबा 0.54 है. पर वर्तमान में सरसों की फसल है जो सोहनलाल पुत्र बिरधीलाल जाति माली साकिन खजूरनाकलां द्वारा अपने खेतों में मिलाकर काश्त की जा रही है।" ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होना पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलेक्टर बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.12.01 12:56:02 IST
Reason: SelfAttested

... 2957 रकबा 0.54 हेक्टे0 भूमि स्थित है जो

नकल जमानबंदी सम्मवत 2074--2077 मे प्रार्थी के खाते ...